न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /एफ०टी०सी०-द्वितीय, देवरिया।

पीठासीन अधिकारीः- जगन्नाथ(उच्चतर न्यायिक सेवा)- UP01863

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं०-1072/2026

UPDE 010026432026

हरिकेश चौहान वउम्र 25 वर्ष बालिग पुत्र जयराम चौहान

साकिन लबकनी, थाना गौरीबाजार, जिला देवरिया।

----------**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उ० प्र० राज्य

----------**विपक्षी**

मु०अ०सं०-210/2026

धारा-64(1), 351(3), 352 बी०एन०एस०

थाना-गौरीबाजार, जनपद-देवरिया (उत्तर प्रदेश)

दिनांक- 20.06.2026

1. आवेदक/अभियुक्त हरिकेश चौहान की ओर से मु०अ०सं०-210/2026 अंतर्गत धारा- 64(1), 351(3), 352 बी०एन०एस०, थाना-गौरीबाजार के अन्तर्गत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. अभियोजन कथानक है कि प्रार्थिनी रेखा देवी पत्नी संजय चौहान ग्राम व पोस्ट लबकनी थाना गौरीबाजार जिला देवरिया उ0प्र0 की निवासिनी हूँ। जो कि प्रार्थिनी अपनी लड़की/पीड़िता की शादी दिनांक 25 अप्रैल 2024 को थाना बरियापुर क्षेत्र मे विवाह सम्पन्न हुआ है प्रार्थिनी के घर के ही बगल के लड़का हरिकेश पुत्र स्व० जयराम चौहान का प्रार्थिनी की लडकी के साथ पूर्व मे प्रेम सम्बन्ध था। प्रेम सम्बन्ध के समय ब्लैकमेल करके शारिरीक सम्बन्ध बनाता है। प्रार्थिनी की लड़की जब शारीरिक सम्बन्ध बनाने से मना करती थी तो हरिकेश प्रार्थिनी की लड़की को धमकी देता था कि तुम मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने में मना करोगी तो तुम्हारा फोटो एवं वीडियो

वायरल करूँगा एवं तुम्हारे पति के पास भेज दूगां। जिसको लेकर प्रार्थिनी की लड़की को मानसिक रुप से बहुत ज्यादा परेशान करता था एवं प्रार्थिनी की लड़की को भद्दी 2 गाली देता है। प्रार्थिनी की लड़की को आये दिन हरिकेश फोन करके परेशान करता है। जिसकी सूचना थाना गौरीबाजार को दिनांक 20.5.2026 को प्रार्थना पत्र दे रही हूँ। अतः निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. उक्त तहरीर के परिप्रेक्ष्य में थाना गौरीबाजार पर अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 20.05.2026 को 14:34 बजे मुकदमा अपराध सं०-210/2026, धारा-64(1), 351(3), 352 बी०एन०एस० में दर्ज किया गया।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से बहस करते हुये विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त की यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावे अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय में व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न तो दाखिल है और न ही खारिज ही हुआ है। अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट की संक्षेप में कहानी इस प्रकार है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा पीड़िता को अपने प्रेमजाल में फंसाकर ब्लैकमेल करके शारीरिक संबंध बनाये जाने तथा गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप है। घटना की कोई निश्चित समय व तिथि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार ही घटना शारीरिक सम्बन्ध की जानकारी वादिनी को बहुत पहले से ही थी लेकिन वादिनी द्वारा इसकी सूचना थाना गौरीबाजार में नहीं दिया गया। जबकि थाने से दूरी मात्र 6 किमी है और देरी का कोई कारण नहीं दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथन से ही यह ज्ञात होता है कि आवेदक/अभियुक्त तथा वादिनी की लड़की का अफेयर वादिनी के संरक्षण में था और इसकी जानकारी वादिनी की लड़की/पीड़िता के पति को जब हुई तो उसी के दबाव में यह एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया। वादिनी की लड़की/पीडिता से आवेदक/अभियुक्त का कोई शारीरिक सम्बन्ध नहीं रहा है तथाकथित पीड़िता रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालती थी आवेदक/अभियुक्त के बगलगिर होने के कारण आवेदक/अभियुक्त के साथ भी कई फोटो खींच कर रील बनाया गया है और उसी फोटो को दिखाकर आवेदक/अभियुक्त से वादिनी तथाकथित पीड़िता आवेदक/अभियुक्त से पैसा वसूलती थी आवेदक/अभियुक्त लोक लाज के भय से उनको कई बार पैसा दिया लेकिन वादिनी का लालच बढ़ता जा रहा था और

वादिनी कहने लगी कि यदि पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करा दूंगी, इस सम्बन्ध में मैंने अपने घर तथा प्रार्थिनी के पति से बात किया तो उन लोगो ने पैसा देने से मना कर दिया जिससे नाराज होकर वादिनी मुकदमा तथा तथाकथित पीड़िता ने आवेदक/अभियुक्त के ऊपर झूठा व फर्जी एफ.आई.आर. दर्ज करा दिया। आवेदक/अभियुक्त दिनांक-24.05.2026 से जिला कारागार देवरिया में न्यायिक अभिरक्षा में बन्द है। आवेदक/अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नही है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नही किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दौरान विवेचना में सहयोग तथा सही तथ्य लाने के लिए विवेचक की मदद जेल में रह कर नही कर पायेगा। आवेदक/अभियुक्त अपनी जमानत कराना चाहता है तथा दौरान जमानत न्यायालय के आदेशो का पालन करने हेतु तैयार व तत्पर रहेगा। आवेदक/अभियुक्त की जमानत अधीन न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है खारीजी संलग्न है। आवेदक/अभियुक्त जमानत मुचलका देने को तैयार है उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

5. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये करते हुये यह कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा पीड़िता को प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करके शारीरिक संबंध बनाये जाने व गाली गुप्ता दिये जाने तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा पीड़िता को जान से मारने की धमकी दिये जाने का कथन किया है। अतः प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

6. मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन के पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना, केस डायरी एवं थाने की आख्या व पत्रावली का अवलोकन किया।

7. केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा पीड़िता को अपने प्रेमजाल में फंसाकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाये जाने व गाली गुप्ता तथा जान से मारने की धमकी दिये जाने का कथन किया गया है जिसका समर्थन पीड़िता द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. में भी किया गया है। पीड़िता के इस कथन का समर्थन पीड़िता द्वारा अपने मेडिकल प्रपत्र में भी किया गया

है। मामले में विवेचना अभी प्रचलित है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति की है।

8. आवेदक/अभियुक्त को मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस आधार विद्यमान नहीं है और न ही अभियुक्त की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से मुकदमा पंजीकृत कराया जाना प्रतीत होता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कथित तथ्य साक्ष्य व विचारण का विषय है। अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों में अपराध की प्रकृति व गम्भीरता तथा अपराध किए जाने के तरीके को देखते हुए मामले के गुणदोष पर राय व्यक्त किए बिना जमानत का उचित आधार नहीं पाया जाता है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त हरिकेश चौहान की ओर से मु०अ०सं०-210/2026 अंतर्गत धारा- 64(1), 351(3), 352 बी०एन०एस०, थाना-गौरीबाजार में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक-20.06.2026

(जगन्नाथ)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
एफ०टी०सी०-द्वितीय,देवरिया।
जे० ओ० कोड- UP 01863